

जिला कलक्टर फर्द अहकाम

कार्यालय

राजसमन्व

प्राची

में खेतान विजेस

विपक्षी

श्री डालचन्द

किस्में मुकदमा

शा.पत्र 14(4)

पत्रावली संख्या

04/2012

पद

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
02.01.26	<p>वकु पक्ष-उप। उन्नयपक्ष के महाधिवक्ताओं की वएस सुनी गयी।</p> <p>अतः पत्रा-वास्ते आदेश दिनांक 09.01.26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षर)</p>	
09.01.26	<p>वकु. पक्ष. उप. / आज पीठासीन अधिकारी महो. के <del>अभियोग</del> / अन्य राज्य कार्य / <del>अभियोग</del> पर होने से पत्रा. पूर्वदिश की पालना में दिनांक...16.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षर)</p>	
16.01.2026	<p>पत्रा-वास्ते आदेश पेश हुई। यह प्रार्थना पत्र ग्राम निचली भोज की आराजी सं. 1513/1343 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। इसमें इस भूमि के आवंटन को निस्त करने की प्रार्थना प्रस्तुत की गयी है। उल्लेखनिष्ठ है कि इस संबंध में पुररण सं. 18/2024 समान भूमि के संबंध में सरकार जलिये तहसीलदार नाथडारा वनाम श्री डालचन्द, शा.पत्र 14(4), तहसीलदार नाथडारा द्वारा प्रस्तुत किया गया था/ जिसका विवेचन किया जाकर और सुनवाई की जाकर निर्णय किया जा चुका है तथा वादग्रस्त भूमि के आवंटन को राजस्थान म-राजस्व ग्रामीण</p>	

क्षेत्र में कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970  
के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार  
कर आवंटन निरस्त किया जा चुका है।

अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में  
निर्णय किया जाकर पूर्व में ही आवंटन निरस्त  
किया जा चुका है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र  
पर ~~कोई~~ कोई सुनवाई की आवश्यकता नहीं  
है। उस पत्रावली के निर्णय को इस पत्रावली  
में भी संलग्न किया जावे। तथा पत्रावली फ़ैसल  
शुमार मानी जावे।

अतः पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज  
राजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल  
दफ्तर हो।



जिला कलक्टर  
राजसमन्द